



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक ५६ / प्रवर्तन जोन-१/२०१८

दिनांक २८-५-१८

परिशिष्ट-६ प्रपत्र 'ब' / भाग-द

विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र

(आवेदन पत्र परिशिष्ट-६-प्रपत्र 'ब' भाग-अ, ब, स की फोटो कॉपी साथ में संलग्न है।)

राजनगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद स्थित ग्राम-सद्दीकनगर में खसरा सं.-८९७, ९१८, ९३५, ९३९ ९४०, ९४१, १०७४, १०७५, १०७८, १०८७ पर मै० एम०आर० मित्तल इन्फ्राटैक प्रा०लि० द्वारा निर्मित ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट "राजनगर रेजीडेंसी" जिसका स्वीकृत मानचित्र संख्या-६०/जी०एच०/जोन-१/२०१४-१५ दिनांक ०३.०१.२०१५ तथा संशोधित स्वीकृत मानचित्र संख्या-५५६/जी०एम०पी०/जी०एच०/१६ दिनांक १०.०२.२०१७ को स्वीकृत है एवं तत्पश्चात स्वीकृति से अतिरिक्त किया गया निर्माण शमनित किया जा चुका है, के अन्तर्गत आवेदक/विकासकर्ता द्वारा सम्पूर्ण ग्रुप हाउसिंग के ब्लॉक-२ के पूर्णता प्रमाण-पत्र हेतु दिये गये आवेदन/प्रमाण-पत्रों का परीक्षण खण्डीय अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा कर लिया गया है। आंशिक पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक २३.०५.२०१८ को प्रदान की गयी है। अतः उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-१९७३ की धारा-१५ क (२) के अन्तर्गत पूर्णता प्रमाण-पत्र पृष्ठ भाग पर उल्लेखित शर्तों/प्रतिबन्धों क्रम संख्या-०१ से १६ के अधीन जारी किया जाता है।


28/5/18
अधिशायी अभियन्ता/
प्रभारी प्रवर्तन जोन-१